



न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

अतिक्रमण अपील वाद संख्या-02/2020-21

अवधेन्द्र कुमार सिंह वगैरह बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22-2-21	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत अपील अवधेन्द्र कुमार सिंह वगैरह द्वारा अंचल अधिकारी, दानापुर के अतिक्रमण वाद सं०-14/18-19 में दिनांक-29.08.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार पब्लिक लैण्ड इनक्रोचमेंट एक्ट-1956 की धारा-11 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है।</p> <p>वाद को प्रतिग्रहित के बिन्दु प्रविष्टी हेतु दिनांक-04.12.2020 निर्धारित की गयी।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष दिनांक-04.12.2020 एवं 02.01.21 तक लगातार दो तिथियों पर अनुपस्थित हैं। दिनांक-22.02.2021 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हाजरी दाखिल नहीं किया। परन्तु न्यायालय में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। पूर्व में अंचल अधिकारी, दानापुर के द्वारा अतिक्रमण अपील वाद सं० 03/2019-20 में दिनांक-10.02.2020 को पारित आदेश का अनुपालन किया जा चुका है।</p> <p>पुनः उसी विषय पर अपीलार्थी द्वारा अपील वाद दायर कर मामले को उलझायें रखने की मंशा को दर्शाता है। अपीलवाद में कोई नया तथ्य नहीं है।</p> <p>इसलिए अपील आवेदन को खारिज करते हुए, इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।</p> <p style="text-align: center;"> समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।</p>	